न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 10 / 2022

प्रार्थी : –

विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी :–

1. सरपंच ग्राम पंचायत वासा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्री परबाराम पुत्र श्री बाबराजी जाति रेबारी निवासी वासा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :–

1. सहायक विकास अधिकारी सिरोही प्रार्थी की ओर से।
2. श्री प्रमोद कुमार दवे अप्रार्थी संख्या दो की ओर से।

निर्णय

दिनांक 28.11.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थी संख्या दो के हक में अप्रार्थी संख्या एक द्वारा जारी पट्टा संख्या 21627 दिनांक 16.09.2019 क्षेत्रफल 1218 वर्गफीट को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या एक सरपंच ग्राम पंचायत वासा की ओर जवाब प्रस्तुत किया गया एवं अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे द्वारा जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी गई एवं जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से सहायक विकास अधिकारी सिरोही द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो के हक मे विधि विरूद्ध पारित पट्टा संख्या 21627 दिनांक 16.09.2019 क्षेत्रफल 1218 वर्गफीट का नियम 158 राजस्थान पंचायत राज.नियम 1996 के तहत् जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या दो अति निर्धन होने एवं अन्य कोई भूखण्ड नही होने का कोई उल्लेख नहीं है। शिकायत प्रस्तुत होने पर जांच के आधार पर ही निगरानी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना कर पट्टा जारी किया गया है, इस कारण पंचायत को आर्थिक क्षति हुई है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो का ग्राम वासा में आवासीय मकान उपलब्ध है, जिससे अप्रार्थी संख्या दो नियम 158 के तहत पात्रता नहीं रखता है। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक सरपंच ग्राम पंचायत वासा [illegible] जारी किया गया है, जिसका अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। यह है कि [illegible] जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायत राज [illegible] की पालना नहीं की गई है तथा नियमों की पूर्ण अवहेलना कर उक्त पट्टा [illegible] विधि विरूद्ध जारी किया गया है, जो खारिज किए जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:39:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी संख्या एक की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया है, परन्तु बहस हेतु नियत तिथि पर उनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी गई। अप्रार्थी संख्या एक द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह अंकित किया गया है कि ग्राम पंचायत वासा द्वारा नियमों की अवहेलना कर गैर मुमकिन बिलानाम किस्म भूमि का विक्रय विलेख जारी किया गया है एवं पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को अनुचित लाभ देने की नियत से उक्त विक्रय विलेख जारी किया गया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है।

अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या दो को नियम 158 के तहत पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। अप्रार्थी संख्या–दो द्वारा इस संबंध मे कोई अनियमितता पट्टा प्राप्त करते समय नही की गई है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो को जारी पट्टाशुदा भूमि के आस–पास आबादी भूमि है एवं मौके पर बिलानाम भूमि होने की जानकारी अप्रार्थी संख्या दो को नहीं है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो गरीब मजदूरी पेशा व्यक्ति है एवं अपना स्वयं का कोई अन्य मकान नहीं होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है एवं मौके पर आस–पास आबादी भूमि है एवं अप्रार्थी संख्या दो का कब्जेशुदा भूखण्ड होने से व अप्रार्थी संख्या दो के पास अपना कोई अन्य आवास नहीं होने से पट्टा जारी किया गया है, जिसकी भूमि की किस्म की जानकारी अप्रार्थी संख्या दो को नहीं है, परन्तु अप्रार्थी संख्या दो के कब्जे व आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उक्त पट्टा जारी किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र का खारिज किया जाना फरमावें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेज के साथ निगरानी प्रार्थना पत्र की पत्रावली का भलिभॉति अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि अप्रार्थी सं. दो को उक्त पट्टा ग्राम पंचायत वासा द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के तहत जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के अनुसार–

भूमियों का कमजोर वर्गो को आवंटन– (1) पंचायत, गांव आवंटितियों में 300 वर्गगज तक की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के सदस्यों, गांव कारीगरों श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाड़ियां लुहारों को जिनके पास स्वयं के गृह स्थल/गृह नहीं है, और ऐसे बाढ़ग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गए है या गृह/गृहस्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गए है, रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी (और ऐसी भूमि का पट्टा 23–ग में जारी किया जा सकेगा)

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के तहत उन्हीं को पट्टा जारी किया जाता है, जिनके [illegible] नहीं है, अप्रार्थी संख्या दो का ग्राम पंचायत वासा में अन्य कोई आवासीय म[illegible] नहीं है, ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली [illegible] सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता द्वारा किसी [illegible] पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार प[illegible] विवादित पट्टे से सम्बन्धित भूमि की किस्म बिलानाम सरकार है एवं विकास अधि[illegible] पंचायत समिति पिण्डवाड़ा द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में पटवार हल्का की रिपोर्ट के आधार पर भी यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त विवादग्रस्त पट्टा खसरा संख्या 811 रकबा 04 बीघा की भूमि पर जारी किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:39:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

गया है, जो बिलानाम सरकार है एवं अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता द्वारा भी ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो उक्त विवादित पट्टे की भूमि को आबादी भूमि में होने का साबित करता हो। अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता द्वारा यह जाहिर किया गया है कि उक्त विवादित पट्टे की भूमि की किस्म में बारे में उन्हें जानकारी नहीं है, इससे यह प्रतीत होता है कि उक्त पट्टे की भूमि बिलानाम सरकार है, जिसे प्रार्थी द्वारा भी स्पष्ट किया गया है। चूंकि ग्राम पंचायत को आबादी भूमि में ही पट्टा जारी करने का अधिकार है, जबकि इस प्रकरण में ग्राम पंचायत को बिलानाम सरकार भूमि पर पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं होने के बावजूद भी ग्राम पंचायत वासा द्वारा अपने अधिकारों से परे जाकर उक्त विवादित पट्टा संख्या 21627 दिनांक 16.09.2019 क्षेत्रफल 1218 वर्गफीट बिलानाम सरकार भूमि पर जारी किया गया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। अप्रार्थी संख्या एक सरपंच ग्राम पंचायत वासा द्वारा अपने जवाब में भी यह स्पष्ट किया गया है कि अप्रार्थी संख्या दो को उक्त विवादग्रस्त पट्टा नियमों के विपरीत गैर मुमकिन बिलानाम भूमि पर जारी किया गया है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह न्यायालय ग्राम पंचायत वासा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी उक्त विवादित पट्टे को न्याय संगत नहीं मानता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत वासा द्वारा अपार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 21627 दिनांक 16.09.2019 क्षेत्रफल 1218 वर्गफीट को निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:39:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner